न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

लालचन्द बनाम ग्राम पंचायत [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अपील सं. - 5/2022

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अमल मे लाई जाती है। वकील रेसपोडेन्ट सख्या 1 प्रकरण मे कोई जवाब, दस्तावेजात् इत्यादि पेश नही करना चाहते। अतः रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की जवाबदेही बन्द की जाती है। वकील अपीलान्ट ने प्रकरण मे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

20.07.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अपील पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में वकील अपीलान्ट की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित मे स्वीकार की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 2022	2022 / 362	29.11.2021	20.07.2023

उनवान प्रकरण

1. लालचंद आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 शंभू उर्फ शंभूदयाल जाति रैगर निवारी रैगरो का मौहल्ला वार्ड नम्बर 9 ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— प्रार्थी——

बनाम्

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. ग्राम पंचायत झाडली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झाडली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

2. ग्राम पंचायत झाडली जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झाडली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

———रेस्पोडेन्ट्स

3. भगवानसहाय पुत्र स्व0 शंभू उर्फ शंभूदयाल आयु 64 वर्ष

4. सुवालाल पुत्र स्व0 शंभू उर्फ शंभूदयाल आयु 62 वर्ष

5. प्रेम देवी पुत्री स्व0 शंभू उर्फ शंभूदयाल आयु 58 वर्ष

6. फूली देवी पुत्री स्व0 शंभू उर्फ शंभूदयाल आयु 55 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7 हरियाव देवी पुत्री स्व0 शभू उर्फ शभूदयाल आयु 45 वर्ष

8 लाडा देवी पत्नी स्व0 शभू उर्फ शभूदयाल आयु 85 वर्ष

समस्त जाति रैगर निवासीगण रैगरो का मौहल्ला वार्ड नम्बर 9 ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9 गीता देवी पत्नी स्व0 पप्पूलाल पुत्र शभू उर्फ शंभूदयाल पत्नी पूरणमल आयु 53 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0

---तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः-

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां, एड0 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।

श्री सांवरमल महला, एड0 तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 8 की ओर से अभिभाषक

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2961 निर्णय दिनांक 6.10.2021 ग्राम पंचायत झाडली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत द्वारा अपील विरुद्ध नामातकरण संख्या 2961 निर्णय दिनांक 6.10.2021 ग्राम पंचायत झाडली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 2022, 4354, 4355 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टर तन् ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर उक्त भूमियां का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ता 8 का मृतक पिता/पति शंभू उर्फ शंभूदयाल पुत्र जीवनराम खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था। जिसकी मृत्यु दिनांक 28.03.2001 को हो चुकी हैं। जिसके वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का मृतक पति पप्पूलाल पुत्र शंभू उर्फ शंभूदयाल हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पति पप्पूलाल की मृत्यु शंभू उर्फ शंभूदयाल से पूर्व सन् 1991 में ही हो चूकी थी। जिसके पश्चात् सन् 1993 में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा पुर्नःविवाह पूरणमल निवासी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जायपुर के साथ कर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने ग्राम झाडली को छोडकर अपने पुर्नविवाहित पति के साथ ग्राम दोलतपुरा में आवास निवास कर गृहस्थ जीवनयापन व्यतित करने लग गयी हैं तथा वर्तमान में भी अपने पुर्नविवाहित पति के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में निवास कर रही हैं। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 के मृतक पिता/पति की मृत्यु दिनांक 28.03.2001 से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 के पति पप्[illegible]बाद फौत हो गया था तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 ने भी अपने पति पप्पूलाल [illegible] पुर्नविवाह दिनांक 28.03.2001 से पूर्व ही कर लिया था तथा अपीलान्ट व रे[illegible]न्ट नम्बर 3 ता 8 के मृतक पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पति शंभू उर्फ शंभूदयाल की मृत्यु दिनांक 28.03.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा पूर्व मे ही पुर्नविवाह कर लिये जाने के कारण मृतक शंभू उर्फ शंभूदयाल की वारिसान के श्रेणी मे नही आती है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 के मृतक पिता/पति शंभू उर्फ शंभूदयाल की भूमियों मे विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने बाबत हल्का पटवारी झाडली को चाहे गये समस्त दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये, जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 2961 दिनांक 05.09.2021 को नामान्तकरण की प्रविष्ठी की गयी तथा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.09.2021 को नामान्तकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ता 8 के नाम से दर्ज यिका गया। जिसकी जांच आईएलआर झाडली द्वारा दिनांक 06.09. 2000 द्वारा की गयी तथा वारिसान की जांच बाद नामान्तकरण फैसल की रिपोर्ट की गयी, जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा दिनांक 06.10.2021 को प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा वारिसान की बिना कोई जांच किये तथा अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिला–वाला रूप से नामान्तकरण संख्या 2961 को गलत व अवैध रूप से मृत्तक खातेदार शंभू पुत्र जीवणराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं होने के कारण विरासत का नामान्तकरण खारिज किया जाता हैं के निर्णय के साथ अपीलान्ट की विरासत का नामान्तकरण खारिज कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण के बाबत दिनांक 29.10.2021 को हल्का पटवारी से अपने नाम हये इन्द्राजात की जमाबंदी की नकल मांगी गयी तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपकी विरासत का नामान्तकरण पूर्व में ही खारिज कर दिया गया हैं। आपके नाम से कोई [illegible] है, जिस पर उक्त आक्षेपित नामान्तकरण की नकल दिनांक 29.10.2021 को हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को आक्षेपित नामान्तकरण की खारिज किये जाने की जानकारी हुयी इससे पूर्व कोई जानकारी नही थी। अपीलाधीन नामान्तकरण पंचायत द्वारा वारिसान की बिना जाच किए तथा ना ही अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को निर्णय पारित किए जाने के संबध मे कोई सूचना दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नामन्तकरण के समय नामान्तरण से संबधित सभी हितबद्ध पक्षकारो को सूचना दिए जाने तथा उनका पक्ष प्रस्तुत किए जाने के अवसर प्रदान किए जाने के पश्चता नामान्तकरण पर निर्णय पारित किए जाने के प्रावधान हैं जिसका रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा कोई कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में मृत्तक शंभू पुत्र जीवणराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं होने के कारण का उल्लेख करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया हैं। परन्तु ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा अपने निर्णय में मृत्तक शंभू पुत्र जीवण के कौन से वारिस विरासत में दर्ज नहीं किए गए या विरासत से वंचित रहें। व्यक्ति की कोई जांच ही की गई हैं। बाला–बाला रूप से बिना किसी जांच व सुनवाई के केवल मात्रक मृत्तक के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं होने कारण नामान्तकरण गलत व अवैध रूप से खारिज किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण के बाबत दिनांक 29.10.2021 को हल्का पटवारी से अपने नाम हुये इन्द्राजात की जमाबंदी की नकल मांगी गयी तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपकी विरासत का नामान्तकरण पूर्व में ही खारिज कर दिया गया है, आपके नाम से कोई जमाबंदी नही बनी है, जिस पर उक्त आक्षेपित नामान्तकरण की नकल दिनांक 29.10.2021 को हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलान्ट को आक्षेपित नामान्तकरण की खारिज किये जाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जानकारी हुयी इससे पूर्व कोई जानकारी नही थी। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 2961 निर्णय दिनांक 06.10.2021 ग्राम पचायत झाडली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला राजस्थान द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर निरस्त फरमाया जावे एव मृत्तक शभू उर्फ शभूदयाल पुत्र जीवनराम के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022, 4354, 4355 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टर तन् ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का नामान्तकरण वारिसान के नाम स्वीकार किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तकरण में किया हैं।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 व तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 3 लगायत 8 की ओर से श्री सांवरमल महला एड0 ने वकालतनामें पेश किए। तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 8 ने इकबाली जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 9 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेसपोडेन्ट संख्या 2 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपील नामान्तकरण के सम्बन्ध में ऐसी कोई आपत्ति या जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः एसी स्थिति में अपील नामान्तरकण पर बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद [illegible] दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि उक्त तथाकथित [illegible] बाबत दिनांक 29.10.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...हल्का पटवारी से अपने नाम हुए इन्द्राजात की जमाबन्दी की नकल मांगी गई तो हल्का पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण पूर्व में खारिज कर दिये जाने की जानकारी होने पर उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने में देरी होना प्रकट होता है। जो न्यायहित में क्षमा ...की जाकर उक्त अवधि को शुमार फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाने योग्य पाई गई। रेस्पोडेण्ट्स सख्या 2 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से वकील अपीलान्ट ने अपील नामान्तकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। ...त्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड यथा नामान्तकरण संख्या 2961, ग्राम पचायत झाडली के प्रस्ताव की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, इकबाली जवाब रेस्पाडेण्टस सख्या 3 लगायत 9 एंव अतिम चौसाला आधार जमाबदी सम्वत 2074-2077 का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम झाडली की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022, 4354, 4355 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सी... खातेदारी शभू पुत्र जीवनराम जाति रैगर सा. देह खातेदा... होता है। जिसमे शभू पुत्र जीवनराम का देहान्त होने पर विरासत का खात... ...मान्तकरण भरते समय मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

…ू के फौत होने पर उनके सभी वारिसान के नाम प्रस्तुत नामान्तकरण में दर्ज नहीं होने के कारण विरासत नामान्तकरण सर्वसम्मति से खारिज किया जाना ग्राम पंचायत झाडली के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3 लगायत 8 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में इकबाली जवाब (सहमति) पेश कर अपने मृत्तक पिता/पति के नाम अंकित भूमियों की खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3 लगायत 8 के हक में स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। जहाँ तक रेस्पोडेण्ट संख्या 9 का प्रश्न है वह मृत्तक शंभू उर्फ शंभूदयाल के पुत्र पप्पूलाल की पत्नि होना प्रकट होता है। जिसके द्वारा अपने पति पप्पूलाल की सन् 1991 में नाऔलाद फौत मृत्यु उपरान्त सन 1993 में पुर्नः विवाह पूरणमल निवासी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान के साथ होना अपील में दर्ज किया है लेकिन उसके पुर्नः विवाह करने का कोई ऐसा प्रमाण रिकार्ड पर पेश नहीं किया है। जिससे यह माना जा सके कि उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ग्राम झाडली में वर्तमान में निवास नहीं करती हो। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 9 को भी मृत्तक शंभू उर्फ शंभूदयाल के पुत्र मृत्तक पप्पूलाल की पत्नि होने से उनके विधिक वारिस माना जाकर वैधानिक अधिकार दिया जाना कानून[illegible]ित होता है। जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible] के सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी … श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्टस न्यायहित में स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 2961 निर्णय दिनांक 06.10.2021 सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाता है तथा मृत्तक शंभू उर्फ शंभूदयाल पुत्र जीवनराम के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 2022, 4354, 4355 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का नामान्तकरण उसके विधिक वारिसान् अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3 लगायत 9 के नाम दर्ज किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/07/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible]07.2[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/07/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)